(3) (6)

कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि

अवधि : वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक

लागत : रू. 97.00 करोड़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, म0प्र0, भोपाल

कृषि वानिकी से कृषक समृध्दि

:: अनुक्रमणिका ::

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
I.	प्रस्तावना	2
II.	प्रस्तावित गतिविधियाँ	
	1. कृषि वानिकी हेतु पौधे तैयार करना	3
	2. कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान	3
	3. घर पहुँच प्रदाय सेवा हेतु वाहनों का क्रय एवं रखरखाव	3
	4. अनुसंधान एवं विस्तार कक्ष (मुख्यालय) का सुदृढ़ीकरण	4
	5. प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार	4
	6. विविध व्यय	4
III.	गतिविधियों एवं व्यय का गोशवारा	5
IV.	परियोजना के प्रत्यक्ष लाभ	5
V.	परियोजना के अप्रत्यक्ष लाभ	6

कृषि वानिकी से कृषक समृध्दि

1. प्रस्तावना–

कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना यह मध्यप्रदेश शासन की उच्च प्राथमिकता का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कृषकों की आय पॉच वर्षो में दुगुनी करने हेतु एक रणनीति बनायी है। इस रणनीति के अंतर्गत कृषकों से यह आव्हान किया है कि वह अपनी भूमि पर परंपरागत फसलों के साथ फलोद्यानिकी, कृषि वानिकी एवं पशुचारे हेतु वृक्ष एवं अन्य फसलें भी बडे पैमाने पर लगायें।

वन विभाग की अनुसंधान एवं विस्तार शाखा रोपण हेतु अच्छी गुणवत्ता के पौधें उत्पन्न करने की गतिविधियों में संलग्न है। वन विभाग को रोपण हेतु लगभग 5 करोड़ पौधें प्रदाय करने के अतिरिक्त लगभग 50 लाख पौधें प्रतिवर्ष कृषकों एवं अन्य एजेन्सी को उपलब्ध करवाये जाते है। वन विभाग,कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग आदि के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है कि पिछले एक दशक में प्रदेश में वन एवं वृक्ष आवरण में लगभग एक हजार वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस प्रयास को और गति दी जाकर एवं अगले 2.5 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण को तीव्र गति से बढावा देकर कृषकों की आय में प्रभावी वृद्धि लाने हेतु इस योजना की परिकल्पना की है।

इस योजना के अंतर्गत कृषकों को निःशुल्क पौधे प्रदान करना प्रथम चरण है। मध्यप्रदेश में कुछ वर्ष पूर्व "सामाजिक वानिकी" कार्यक्रम के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था थी। वर्तमान में भारत के कई राज्यों में कृषकों को निःशुल्क पौधे प्रदाय करने की व्यवस्था है। इस प्रावधान से प्रदेश के छोटे किसानों को भी वृक्षारोपण कर कृषि वानिकी को अंगीकार करने हेतु संबल मिलेगा। प्रदेश के कृषकों अपनी निजी भूमियों पर वृक्षारोपण करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु यह भी आवश्यक है कि उन्हें वृक्षारोपण हेतु पौधे उनके ग्रामों अथवा खेतों तक पहुँचाकर दिये जावें। अतः इस तरह की घर पहुँच सेवा हेतु छोटे पिक–अप ट्रक्स के क्रय का प्रावधान भी इस योजना में रखा गया है। प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन योजना पूर्व से लागू है। दिनांक 07 फरवरी 2016 की वन समितियों की महासभा में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा की थी कि इस योजना के अंतर्गत कृषक प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 25 रू. प्रति पौधा तथा वनदूत प्रोत्साहन की राशि को 7 रू. प्रति पौधा किया जावेगा। अतः इन्हीं घोषित दरों पर प्रोत्साहन राशि के प्रदाय का प्रावधान भी इस योजना में प्रस्तावित किया गया है।

II. प्रस्तावित गतिविधियां–

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है –

1– कृषि वानिकी हेतु पौधे तैयार करना

इस योजना के अंतर्गत यह प्रस्तावित है कि आगामी 2.5 वर्षो में (अर्थात 2016–17 से 2018–19 तक) प्रति जिला 5.00 लाख पौधों की दर से प्रदेश में 2.60 करोड़ पौधों का निर्माण कृषि वानिकी हेतु किया जाकर उन्हें प्रदेश के कृषको को निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। औसतन 10 रू. प्रति पौधा की दर से **इस कार्य पर 26.00 करोड़ रू. का व्यय संभावित है।** व्यय गणना का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 पर दर्शित है। पौधे अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों से प्रदाय किये जा सकते हैं अथवा कागज उद्योगों की कंपनियों से क्रय करके भी कृषकों को उनके ग्रामों में प्रदाय किये जा सकेंगे। प्रदेश के कुछ जिलों में किसान वर्तमान में उद्योगों से पौधे क्रय करके रोपण कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना से लाभ मिलेगा।

2– कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना –

इस योजना में निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में रू. 25/– प्रति पौधा एवं इस कार्य में मदद करने वाले वनदूतों को रू. 7/– प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाना प्रस्तावित है। प्रोत्साहन राशि की दरों की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2016 को जंबूरी मैदान भोपाल में आयोजित वन समितियों के महा सम्मेलन में की जा चुकी है। **कृषकों को एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि हेतु रू. 66.56 करोड़ की आवश्यकता होगी।** विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–2 पर दर्शित है। गणना करते समय यह माना गया है कि रोपित पौधों का 80 प्रतिशत लगभग अर्थात 2.08 करोड़ पौधों हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदाय करनी पड़ सकती है।

3– घर पहुॅच पौधा प्रदाय सेवा हेतु वाहनों का क्रय एवं रखरखाव –

यदि रोपण को व्यापक रूप से प्रोत्साहन दिया जाना है तो घर पहुॅच पौध प्रदाय सेवा स्थापित करना आवश्यक होगा। यह आवश्यक है कि प्रत्येक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में कम से 2 ऐसे वाहन उपलब्ध हो जिसमें कि पौधे परिवहन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो तथा किसी गांव से पौधों की मांग आने पर मौके पर पौधे प्रदाय किये जा सके। इस हेतु प्रदेश के 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों हेतु 22 टाटा 407 अथवा

समकक्ष वाहन प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। इन वाहनों में पौधा परिवहन हेतु संरचनाएं तैयार करनी होंगी। साथ ही इन वाहनों के ढाई वर्ष तक रखरखाव हेतु आने वाले संभावित व्यय को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार **कुल राशि रू. 2.99 करोड़ का व्यय अनुमानित है।** विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–3** पर दर्शित है।

4– <u>अनुसंधान एवं विस्तार कक्ष (मुख्यालय) का सुदृढीकरण :–</u>

उपरोक्त सभी गतिविधियों के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के अनुसंधान एवं विस्तार कक्ष का सुदृढीकरण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रस्तावित है कि यहां पर निम्न 3 प्रकोष्ठ स्थापित किये जावेः–

1– विस्तार कक्ष
2– अनुसंधान कक्ष
3– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कक्ष

इन तीनों प्रकोष्ठों में भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान अथवा माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्व विद्यालय आदि से कैम्पस प्लेसमेन्ट के माध्यम से 3 उम्मीदवारों को 3 वर्ष हेतु संविदा पर रखा जाना प्रस्तावित है। ये तीनों प्रकोष्ठ अपने अपने क्षेत्रों में गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु योगदान देंगे । इस पर **कुल राशि रू. 42.40 लाख का व्यय अनुमानित है।** विस्तृत विवरण संलग्न <u>परिशिष्ट–4</u> पर दर्शित है।

5– <u>प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसारः–</u>

इतने बडे पैमाने पर कृषकों के मध्य कृषि वानिकी के वृक्षारोपण सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु आवश्यक है कि उन्हें इससे होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों से अवगत कराया जावे। इस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु वन विभाग के स्थानीय अमले को भी इस हेतु प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। इसके लिये क्षेत्रीय अमला एवं कृषकों के लिये विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण एवं अध्ययन प्रवास आदि आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। इस पर **कुल राशि रू. 66 लाख का व्यय अनुमानित है।** विस्तृत विवरण <u>परिशिष्ट–5</u> पर दर्शित है।

6– <u>विविध व्यय :–</u>

इतने बडे पैमाने पर संपूर्ण प्रदेश में इस तरह की योजना क्रियान्वित करने परकई तरह के व्यय आयेंगे जिनका वर्तमान में अनुमान

करना संभव नही है। अतः इस मद में राशि रू. 36.40 लाख एक मुश्त प्रावधानित की जाती है।

III. गतिविधिवार व्यय का गोशवारा :–

क्र.	गतिविधि	प्रस्तावित व्यय (रू. लाख में)	गतिविधि अनुसार संभावित व्यय %
1	कृषि वानिकी हेतु पौधे तैयार करना	2600.00	26.80
2	कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना	6656.00	68.62
3	घर पहुॅच पौधा प्रदाय सेवा हेतु वाहनों का प्रदाय एवं संचालन	299.20	3.09
4	अनुसंधान एवं विस्तार कक्ष (मुख्यालय) का सुदृढीकरण	42.40	0.44
5	प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार	66.00	0.68
6	विविध व्यय	36.40	0.37
	महायोग –	**9700.00**	**100%**

अर्थात कुल परियोजना व्यय का 98.5 प्रतिशत भाग सीधे/प्रत्यक्ष तौर पर कृषकों को उनके गांवों अथवा खेतों में पौधे उपलब्ध करने एवं उनको प्रोत्साहन राशि भुगतान करने में व्यय होगा। मात्र 1.5 प्रतिशत अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना संचालन हेतु प्रावधानित किया गया है। अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तवार, गतिविधिवार विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 से 5 पर दर्शित है।

IV. परियोजना से प्रत्यक्ष लाभः–

उपरोक्त अनुसार गतिविधियों को संचालित करने से निम्नानुसार लाभ होगेः–

1– कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
2– रोपण हेतु पौधे उनके गॉवों में उपलब्ध होंगे।
3– कृषकों की आय में वृद्धि होगी।

परियोजना के अप्रत्यक्ष लाभ–

इस पूरी परियोजना के कियान्वयन में निम्नानुसार अप्रत्यक्ष लाभ अपेक्षित है–

1– प्रदेश में वृक्ष आवरण में वृद्धि।

2– कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि जो की जलवायु परिवर्तन के शमन में सहायक होगा।

3– कृषकों को एवं उनकी फसलों को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से सुरक्षा।

4– कृषि वानिकी के अन्य अप्रत्यक्ष लाभ जैसे कृषि भूमि पर जैव विविधता में वृद्धि, मृदा में कार्बनिक पदार्थो की मात्रा में वृद्धि आदि के माध्यम से सतत पोषणीय कृषि व्यवस्था का विकास।

5– कृषि वानिकी से प्राप्त काष्ठ एवं अन्य कच्चे माल से उनके ऊपर आश्रित उद्योगों का उत्पादन बढेगा। नये उद्योगों के स्थापित होने की संभावनाएं भी बढेगी।

––00––

परिशिष्ट –

कृषि वानिकी हेतु पौधा तैयारी करना

(पौधा संख्या : लाख में, राशि : रू. लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तवार पौधा तैयारी का लक्ष्य											कुल	दर (रू. प्रति पौधा)	आवश्यक राशि
		बैतूल	भोपाल	ग्वालियर	इन्दौर	जबलपुर	झाबुआ	खण्डवा	रतलाम	रीवा	सागर	सिवनी			
1	पौधा तैयारी	15.00	25.00	40.00	10.00	20.00	15.00	25.00	30.00	35.00	25.00	20.00	260.00	10.00	2600.00
														योग :	**2600.00**

	वर्षवार आवश्यक राशि			
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल
आवश्यक राशि	780.00	1300.00	520.00	2600.00
प्रतिशत	30	50	20	100

नोट – 1) जिन जिलों में कृषक कुछ उद्योगों के द्वारा तैयार किये गये क्लोनल पौधे लगाने के इच्छुक हैं वहॉ पर उन्हें इसी राशि से पौधे उद्यागों से क्रय कर प्रदान किये जायेंगे।

2) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2016–17 में रोपण सीजन समाप्त हो गया है। अतः रोपण के लक्ष्य वर्ष 2017–18 में एवं 2018–19 में 50–50 प्रतिशत पूर्ण किये जायेंगे।

3) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2016–17 में अगले वर्ष के रोपण हेतु आवश्यक पौधों के निर्माण पर 60 प्रतिशत व्यय आवेगा।

4) वित्तीय वर्ष 2017–18 में उसी वर्ष के रोपण हेतु आवश्यक पौधों के निर्माण पर 40 प्रतिशत व्यय आवेगा तथा अगले वर्ष के रोपण हेतु आवश्यक पौधों की तैयारी पर 60 प्रतिशत व्यय आवेगा।

5) वित्तीय वर्ष अर्थात 2018–19 में चालू वर्ष के रोपण हेतु आवश्यक पौधों के निर्माण पर 60 प्रतिशत व्यय आवेगा।

कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान

(पौधा संख्या : लाख में, राशि : रू. लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तवार लक्ष्य										कुल	दर (रू. प्रति पौधा)	आवश्यक राशि
		बैतूल	भोपाल	ग्वालियर	इन्दौर	जबलपुर	झाबुआ	खण्डवा	रतलाम	रीवा	सागर	सिवनी		
1	कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान	12.00	20.00	32.00	8.00	16.00	12.00	20.00	24.00	28.00	20.00	16.00	208.00	32	6656.00
														योग :	6656.00

	वर्षवार आवश्यक राशि			
	प्रथम	द्वितीय	तुतीय	कुल
आवश्यक राशि	0.00	3328.00	3328.00	6656.00
प्रतिशत	0	50	50	100

घर पहुँच पौधा प्रदाय सेवा हेतु वाहनों का क्रय एवं रखरखाव

(राशि लाख रू. में)

क्र.	कार्य विवरण	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तवार लक्ष्य										कुल वाहन	दर	आवश्यक राशि
		बैतूल	भोपाल	ग्वालियर	इन्दौर	जबलपुर	झाबुआ	खण्डवा	रतलाम	रीवा	सागर	सिवनी			
1	वाहन क्रय	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	9.60	211.20
2	पौधा परिवहन हेतु वाहन में आवश्यक संरचना निर्माण	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	1.00	22.00
4	तीन वर्षो हेतु वाहनों का रखरखाव	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	3.00	66.00
													योग :		299.20

परिशिष्ट – 4

अनुसंधान एवं विस्तार कक्ष (मुख्यालय) का सुदृढीकरण

(राशि लाख रु. में)

क्र.	कार्य विवरण	वर्षवार आवश्यक राशि			
		प्रथम (रू. 35000 प्रतिमाह)	द्वितीय (रू. 40000 प्रतिमाह)	तृतीय (रू. 45000 प्रतिमाह)	कुल
1	विस्तार कार्य का समन्वय	2.10	4.80	5.40	12.30
2	अनुसंधान कार्य का समन्वय	2.10	4.80	5.40	12.30
3	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य	2.10	4.80	5.40	12.30
4	यात्रा एवं अन्य भत्ते	0.70	2.40	2.40	5.50
	महायोग	**7.00**	**16.80**	**18.60**	**42.40**

13

प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार

(राशि लाख रू. में)

क्र.	कार्य विवरण	तीन वर्षो हेतु आवश्यक राशि			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1	कृषकों / क्षेत्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण, कार्यशाला/अध्ययन प्रवास/परियोजना प्रचार प्रसार इत्यादि	11.00	33.00	22.00	66.00

कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि परियोजना का वर्षवार आवश्यक राशि का विवरण

(राशि रू. लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	वर्षवार आवश्यक राशि				गतिविधि अनुसार संभावित व्यय प्रतिशत
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल आवश्यक राशि	
1	कृषि वानिकी हेतु पौधे तेयार करना	780.00	1300.00	520.00	2600.00	26.80
2	कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान	0.00	3328.00	3328.00	6656.00	68.62
3	घर पहुँच प्रदाय सेवा हेतु वाहनों का क्रय एवं रखरखाव	299.20	0.00	0.00	299.20	3.08
4	अनुसंधान एवं विस्तार कक्ष (मुख्यालय) का सुदृढीकरण	7.00	16.80	18.60	42.40	0.44
5	प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार	11.00	33.00	22.00	66.00	0.68
6	विविध व्यय	7.28	14.56	14.56	36.40	0.38
	योग –	**1104.48**	**4692.36**	**3903.16**	**9700.00**	**100.00**